22/7/19

पत्रावली पेश हुई। अपीलांट उपस्थित नहीं है।
दिनांक 24/5/19 की आर्डरशीट भी इसी तथ्य को स्पष्ट
करती है। प्रार्थी (अपीलांट) को साक्ष्य प्रस्तुत करने का
अवसर चाहे अनुसार दिया गया परन्तु उसकी पालना करने
में वह असमर्थ रहा। न्यायालय समय तक इंतजार किया।
फिर भी ~~प्रार्थी~~ की ओर से कोई उपस्थित नहीं। मामला
अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner